न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 6/2017

1. नरेन्द्र पुत्र शंकरनाथ 2. चन्द्रनाथ पुत्र शंकरनाथ 3. सुशीला देवी पत्नी शंकरनाथ	जाति नाथ निवासी 2 एच.एच.प्रथम नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र धोकलराम 2. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णराम पुत्र धोकलराम 3. भगवानाराम पुत्र धोकलराम 4. नत्थूराम पुत्र धोकलराम 5. पूनम पुत्री शंकरनाथ 6. पिंकी पुत्री शंकरनाथ 7. हेमलता पुत्री शंकरनाथ 8. महेश्वरी पत्नी गिरधारीनाथ 9. चन्द्रकला पुत्री गिरधारीनाथ 10. महेन्द्र देवी पुत्री गिरधारीनाथ 11. रविन्द्रनाथ पुत्र मनीराम 12. सुभाषनाथ पुत्र मनीराम 13. इन्द्रादेवी पत्नी मनीराम 14. मुखराम पुत्र भोमनाथ 15. कृष्णनाथ पुत्र भोमनाथ 16. बाधुदेवी पुत्री भोमनाथ 17. किरणदेवी पुत्री भोमनाथ	जाति नाथ निवासी 2 एच.एच. नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोन्डेंट्स

19/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 09.12.2016

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुभाष सहगत अभिभाषक रेस्पो. सं. 3

श्री महेश वर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 5 से 8, 14 व 15

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 4 ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 2 एच.एच. प्रथम के खाता सं. 79/15 मु.नं. 45 के कि.नं. 1, 10, 11 व 12 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र के साथ राज.काश्त.अधि.की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर प्रचलित रास्ता को बन्द करने तथा प्रार्थीगण के उपयोग में बाधा पैदा करने से बाज व ममनू रहने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2016 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2016 को प्रा.पत्र के निर्णय तक स्थाई कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधी. न्यायालय ने सशर्त आदेश पारित किया है। 251क के प्रा.पत्र में धारा 212 का प्रा.पत्र नहीं लग सकता। अधी. न्यायालय को रास्ते के प्रकरण का ही निर्णय करना चाहिए था। मौका पर प्रार्थीगण को अन्य रास्ता उपलब्ध है। रास्ते की आवश्यकता है या नहीं इसका निर्णय तो प्रा.पत्र में तय होगा। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो उचित नहीं होने से अपील स्वीकार की जावे

19/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया है कि यदि मौका पर रास्ता चालू है तो वह चालू रहेगा। रेस्पों. इसी रास्ता से आते–जाते हैं। अपीलांट द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र पेश किया। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें मौके पर चल रहे रास्ते की यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश दिये हैं जबकि रास्ते की स्वीकृति का प्रा.पत्र लम्बित है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू नहीं होने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण मौके पर चल रहे रास्ते(सुखाचार) राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251 व नया रास्ता स्वीकृत करने की धारा 251ए से सम्बन्धित है। धारा 251 के सुखाचारों को पुख्ता बल प्रदान करने के लिए procedural and substan live law धारा 251ए का विधायिका द्वारा संशोधन कर विधि में समाहित कर राज.काश्त.(सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69(2) में 90 दिन में निस्तारित किया जाना निर्देशित है। रास्ते की आवश्यकता एवं स्वीकृति धारा 251ए के प्रावधानुकूल व्याख्या अपेक्षित है। अगर धारा 251 का सुखाचार बाधित होता है तो उसके लिए धारा 251 में ही प्रावधान निहित है। धारा 251ए में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.12.2016 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर